

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

Letter No. 63
Date 2/3/26

प्रकरण क्रमांक: सीजीआरएफ/डीआरजी/2025/16
दिनांक: 28/01/2026

मेसर्स विशाल स्ट्रक्चरल फेब्रीकेटर
35/डी एल.आई.ए. भिलाई
मो.नं. 94255-51602

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन अभियंता नगर संभाग पूर्व भिलाई अनावेदकगण
2. सहायक अभियंता छावनी जोन

विषय :- मेसर्स विशाल स्ट्रक्चरल फेब्रीकेटर बी.पी. नंबर 1000441738 अनुबंधित भार 50 एच.पी. प्लॉट नंबर 35/डी लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया छावनी का कनेक्शन सहायक अभियंता छावनी जोन के अंतर्गत स्थापित है। उक्त कनेक्शन का विच्छेदन बकाया राशि होने के कारण स्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है जिससे उपभोक्ता पुनः चालू करवाना चाहता है।

आदेश

(आज दिनांक 02.03.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

उपभोक्ता मेसर्स विशाल स्ट्रक्चरल फेब्रीकेटर बी.पी. नंबर 1000441738 अनुबंधित भार 50 एच.पी. जो कि MSME उद्योग के अंतर्गत स्थापित है जिसका टेरिफ प्रायोजन निम्न दाब LV 5 इण्डस्ट्रीस के तहत बिलिंग जारी होता है। उक्त उपभोक्ता का कनेक्शन बकाया राशि के कारण स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है। जिसे उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करते हुये पुनः संयोजित करने हेतु आवेदन दिनांक 03.01.2026 को सहायक अभियंता कार्यालय छावनी को दिया गया। संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त संबंध में कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण उपरोक्त उपभोक्ता दिनांक 28.01.2026 को CGRF दुर्ग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिसे प्रकरण क्रमांक 16 दिनांक 28.01.2026 के तहत दर्ज करते हुये फोरम में सुनवाई आरंभ की गई।



2. आवेदक की ओर से सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कथन

दिनांक 09.02.2026 को प्रकरण की प्रथम सुनवाई के दौरान आवेदकगण मेसर्स विशाल स्ट्रक्चरल फेब्रीकेटर श्री वी.एन. मिश्रा स्वयं प्रस्तुत हुये एवं स्ट्रक्चरल फेब्रीकेटर की तरफ से उपभोक्ता श्री चुरेन्द्र सहायक अनावेदकगण श्री बंछोर कार्यपालन अभियंता नगर संभाग पूर्व एवं श्री चुरेन्द्र सहायक अभियंता छावनी जोन उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन निम्नानुसार है :-

सहायक अभियंता छावनी जोन के अंतर्गत मेसर्स विशाल स्ट्रक्चरल फेब्रीकेटर प्लॉट नंबर 35/डी अनुबंधित भार 50 एच.पी. MSME उद्योग के अंतर्गत स्थापित है। आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि गंभीर वित्तीय संकट के कारण उक्त यूनिट में उत्पादन जारी नहीं रख सका एवं विद्युत बिल की राशि को भी समय पर भुगतान करने में असमर्थ रहा। जिसके कारण उपरोक्त विद्युत कनेक्शन बकाया राशि होने के कारण स्थायी विच्छेदित हो गया। वर्तमान में उपभोक्ता द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति सुधरने के कारण उपरोक्त यूनिट में उत्पादन पुनः चालू करना चाहता है जिसके लिये उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने हेतु तैयार है। उपभोक्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त कनेक्शन हेतु स्थापित ट्रांसफार्मर एवं मीटरिंग उपकरण स्थायी विच्छेदन उपरांत अभी तक हटाया नहीं गया है एवं उपभोक्ता की सुरक्षा निधि भी स्थायी विच्छेदन के पश्चात् लौटाया नहीं गया है। अतः उक्त स्थिति में उपभोक्ता द्वारा उक्त स्थायी विच्छेदन को पुनः संयोजित करने हेतु निवेदित करते हुये सहायक अभियंता छावनी को दिनांक 03.01.2026 को आवेदन दिया गया। जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की तरफ से सूचना दी गई।

फोरम द्वारा सुनवाई के पश्चात् कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता को अगली सुनवाई में उपभोक्ता के साथ किये गये अनुबंध की कॉपी, उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का स्थायी विच्छेदन के दौरान उपभोक्ता को जारी नोटिस की कॉपी एवं स्थायी विच्छेदन से पूर्व की गई संपूर्ण कार्यवाही के विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. अनावेदक द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कथन

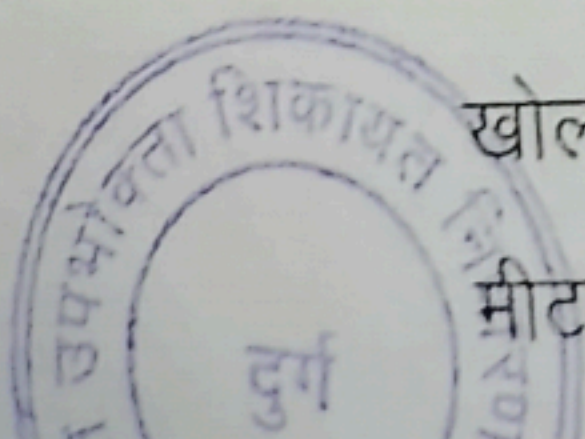


दिनांक 17.02.2026 को प्रकरण की द्वितीय सुनवाई के दौरान अनावेदकगण द्वारा स्थायी विच्छेदन से संबंधित विवरण / दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये अपना कथन निम्नानुसार दर्ज कराया गया।

मेसर्स विशाल
प्रस्तुत हुये एवं
सहायक
नोट

छावनी जोन के अंतर्गत उपभोक्ता मेसर्स विशाल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फ्रीड मंबर 35/डी, एलआई.ए. भिलाई अनुबंधित भार 50 एच.पी. द्वारा दिनांक 02.12.2024 को राशि 57610.00 का अंतिम भुगतान किया गया था उसके उपरांत बकाया राशि होने के कारण माह - फरवरी 2025 में अस्थायी लाईन विच्छेदित किया गया एवं मार्च माह में उपभोक्ता के खाते में उपलब्ध सुरक्षा निधि की राशि 69102 में से राशि 30000.00 का बकाया राशि 157358.00 में समायोजन करने पश्चात् बकाया राशि 128067.00 शेष रहा। माह अप्रैल की स्थिति में शेष सुरक्षा निधि राशि 39102 था। उक्त उपभोक्ता को जून 2025 में बकाया राशि 143540.00 भुगतान हेतु सहायक अभियंता कार्यालय द्वारा पत्र क्रं. 580 दिनांक 11.08.2025 को सूचित किया जाने हेतु नोटिस जारी किया गया जो परिसर में ताला लगा होने एवं उपभोक्ता से मोबाइल फोन में 9425551602 संपर्क नहीं होने के कारण उक्त नोटिस को उपभोक्ता परिसर के मेनगेट में चस्पा किया गया। पुनः इस संबंध में सहायक अभियंता कार्यालय द्वारा पत्र क्रं. 651 दिनांक 04.09.2025 एवं पत्र क्रं. 760 दिनांक 26.09.2025 के माध्यम से बकाया राशि 159370.00 का भुगतान करने हेतु नोटिस जारी किया गया जो परिसर में ताला लगा होने एवं उपभोक्ता से मोबाइल फोन पर संपर्क नहीं होने के कारण उक्त नोटिस को मेनगेट पर चस्पा किया गया। उपभोक्ता द्वारा भी छावनी जोन कार्यालय में भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं किया गया। जिसके कारण उक्त परिसर में ताला लगे होने के कारण मीटर एवं मीटरिंग उपकरण निकाले बिना विद्युत कनेक्शन का स्थायी विच्छेदन सैप प्रणाली में किया गया।

मेसर्स विशाल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क द्वारा पत्र दिनांक 03.01.2026 इस कार्यालय का आवक क्र 322 दिनांक 05.01.2026 को कनेक्शन पुनः चालू करने हेतु आवेदन दिया गया। स्थायी विच्छेदन कनेक्शन को पुनः चालू करने का सैप प्रणाली में ऑथराइजेशन नहीं होने के कारण उक्त आवेदन एवं बिलिंग विवरण को इस कार्यालय के पत्र क्रं. 1165 दिनांक 09.01.2026 को कनेक्शन को पुनः चालू करने हेतु संभागीय कार्यालय प्रेषित किया गया था। इस संबंध में कार्यपालन अभियंता नगर संभाग पूर्व छ.रा.वि.वि. कं.मर्या. भिलाई के पत्र क्रं. 2517 दिनांक 14.01.2026 के माध्यम से उक्त कनेक्शन के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 के कंडिका क्रं. 7.43 के अनुसार "अनुबंध समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु लगाये गये मीटर/सर्विस तार तथा अन्य उपकरण हटा सकता है। यदि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर में ताला लगे होने तथा नोटिस जारी होने के पश्चात् भी नहीं खोलने के कारण मीटर, मीटरिंग उपकरण नहीं हटा सके तो अनुज्ञप्तिधारी मीटर तथा मीटरिंग उपकरण हेतु राशि बिल कर सकता है। स्थायी विच्छेदन के पश्चात् यदि



...नगरी संयोजन हेतु

माना जायेगा तथा सभी बकाया राशि का भुगतान करने के पश्चात् ही उस पर विचार किया जायेगा।" कार्यवाही किये जाने हेतु सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया है। सहायक अभियंता कार्यालय द्वारा पत्र क्र. 1201 दिनांक 20.01.2026 के माध्यम से उपभोक्ता को सूचित किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया जिसे परिसर में ताला लगा होने के कारण उक्त पत्र को मेनगेट में चस्पा किया गया। सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त विद्युत कनेक्शन को विलिंग माह जनवरी 2026 की स्थिति में पुनः चालू किये जाने पर वर्तमान बकाया राशि - 122505, सुरक्षा निधि राशि - 100000, माह - सितंबर 2025 से जनवरी 2026 तक कुल 05 का मिनिमम चार्ज - 29000 एवं सरचार्ज - 13821 कुल राशि 265326.00 किया जाना है। नया विद्युत कनेक्शन लिये जाने की स्थिति में बकाया राशि - 122505, नवीन कनेक्शन चार्ज प्रक्रिया शुल्क - 1000, सर्विस कनेक्शन चार्ज - 900, सुरक्षा निधि राशि - 100000, सप्लाय अपोर्डिंग चार्ज - 88000 कुल नवीन कनेक्शन चार्ज - 189900 होगा। नवीन कनेक्शन की स्थिति में बकाया राशि 122505 एवं नवीन कनेक्शन चार्ज 189900 कुल 312405.00 का भुगतान किया जाना है।

4. फोरम द्वारा परीक्षण एवं विश्लेषण

(1) उपरोक्त प्रकरण का परीक्षण एवं विश्लेषण करने से पूर्व छ.ग. राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 के निम्नलिखित प्रावधानों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

Commencement of agreement:

7.34 The date of commencement of agreement shall be from the date of expiry of one month notice of availability of supply upto consumer's premises for LT consumers and 3 months notice for HT and EHT consumers or the date of release of connection whichever is earlier.

Continuity of agreement:

7.35 "After expiry of initial period of two years of agreement from the date of its commencement, the agreement shall automatically continue on year to year basis on same terms and conditions, provided that either party has not terminated the supply agreement subject to provisions of this Code."

Termination of Agreement

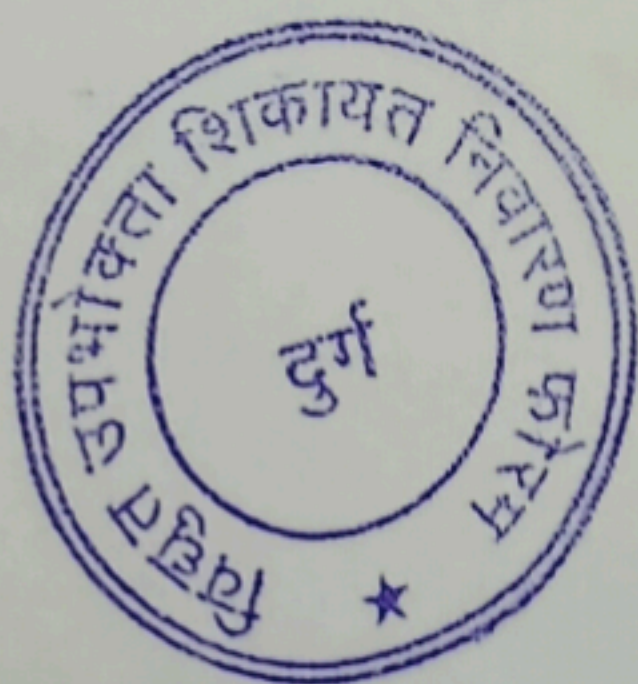
7.36 [If power supply to a consumer after expiry of initial period of agreement (irrespective of having entered into any supplementary agreement) remains disconnected for a period of



two months for non-payment of charges or dues or non-compliance of any directives issued under this Code, the licensee shall issue a show cause notice in the format as per Annexure 6 within the specified period of fifteen days. In case no effective steps are taken by the consumer for removing the cause of disconnection and for restoration of power supply on expiry of the period of fifteen days the power supply agreement shall deemed to be terminated from the last day of the month of disconnection in which the supply has been disconnected."] terminated on 31st Oct i.e. date of termination shall be on last date of billing month after expiry of one month notice period."]

7.42 After permanent disconnection of supply and termination of agreement due intimation shall be given by the licensee to the consumer in the format shown in Annexure 8.

सहायक अभियंता छावनी जोन द्वारा दिये गये कथन के अनुसार मेसर्स विशाल स्ट्रक्चरल फेब्रीकेटर का अस्थायी विच्छेदन माह - फरवरी 2025 को किया गया एवं स्थायी विच्छेदन अगस्त 2025 को किया गया। उपभोक्ता द्वारा नियमित अंतिम भुगतान दिनांक 02.12.2024 को राशि 57610.00 का किया गया। जिसके उपरांत उपभोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया। उपभोक्ता के द्वारा जनवरी 2025 से किसी भी प्रकार का विद्युत खपत नहीं की गई है जो कि बिलिंग दस्तावेज से स्पष्ट होता है। जनवरी 2025 से बकाया राशि होने के कारण फरवरी 2025 में अस्थायी विच्छेदन किया गया एवं मार्च 2025 में उपभोक्ता के सुरक्षा निधि की राशि 69102.00 में से राशि 30000.00 को बकाया राशि में समायोजित किया गया। जिसके पश्चात् शेष बकाया राशि 128067.00 रहा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई सूचना उपभोक्ता को नहीं दी गई थी। सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उपभोक्ता को अस्थायी विच्छेदन से पूर्व दिये जाने वाले नोटिस की प्रति उपलब्ध नहीं था। विद्युत सप्लाई कोड 2011 के धारा 7.36 के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन बकाया राशि के कारण अस्थायी रूप से विच्छेदित करने के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा अस्थायी विच्छेदन से 02 माह की अवधि तक यदि भुगतान नहीं करता है तो उपभोक्ता को विद्युत सप्लाई कोड के निहित प्रावधानों के अनुसार एनेक्सर 6 में दर्शाये गये प्रारूप के अनुसार कारण बताओ सूचना जारी किया जाना है। तत्पश्चात् यदि उपभोक्ता द्वारा 15 दिनों के अंदर भुगतान न करने की स्थिति पर विद्युत आपूर्ति अधिनियम 2011 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार अनुबंध समापन माना जावेगा। इस प्रकरण में पाया गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन के विरुद्ध बकाया राशि के कारण फरवरी 2025 को अस्थायी विच्छेदन किया गया। तत्पश्चात्



06 माह तक किसी भी प्रकार का सूचना अथवा कार्यवाही विद्युत आपूर्ति सहिता के अनुसार नहीं किया गया एवं दिनांक 11.08.2025 को उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का स्थायी विच्छेदन करने के संबंध में सूचित किया गया। दिनांक 04.09.2025 को संबंधित अधिकारी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन हेतु पुनः सूचित किया गया। दिनांक 26.09.2025 को सहायक अभियंता द्वारा विद्युत कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन के संबंध में पुनः सूचित किया गया। उपरोक्त तीनों पत्र उपभोक्ता को अप्राप्त रहा जिसका कारण अधिकारी द्वारा उपभोक्ता परिसर में ताला लगा रहना बताया गया एवं जिसके कारण उपरोक्त तीनों नोटिस उपभोक्ता के परिसर के मुख्य दरवाजे पर चरपा किया गया। जबकि आवेदक के कथनानुसार उक्त परिसर में पूर्णकालिक चौकीदार रहता है। अतः अधिकारी का उक्त तर्क स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विद्युत सप्लाय कोड 2011 के धारा 7.42 में दिये गये प्रावधान अनुसार उपभोक्ता को स्थायी विच्छेदन के पश्चात् विद्युत अनुबंध के समापन हेतु एनेक्सर 8 में दर्शाये गये प्रारूप के अनुसार सूचित किया जाना था जो कि इस प्रकरण में नहीं किया गया। संबंधित अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का प्रारूप विद्युत आपूर्ति सहिता 2011 के अनुसार नहीं पाया गया। अधिकारी द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु उक्त उपभोक्ता के परिसर के बाहर स्थापित ट्रांसफार्मर भी अभी तक हटाया नहीं गया है। इस प्रकार सहायक अभियंता छावनी द्वारा उपभोक्ता को जारी नोटिसों के अनुसार उपभोक्ता के कनेक्शन का स्थायी रूप से विच्छेदित किये जाने के संबंध में दिया गया कथन प्रमाणित नहीं हो पाया। अतः अनावेदक द्वारा उपभोक्ता परिसर में ताला लगा होने के कारण मीटर एवं मीटरिंग उपकरण तथा विद्युत आपूर्ति हेतु स्थापित ट्रांसफार्मर को निकाले बिना विद्युत कनेक्शन का स्थायी विच्छेदन सैप प्रणाली में किया जाना स्वाकार्य योग्य नहीं है।

5. निष्कर्ष

अतः फोरम के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों, उपभोक्ता की शिकायत एवं कथन व प्रतिवादी के प्रतिवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण एवं सप्लाय कोड में निहित प्रावधानों के परिपेक्ष में निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं—

उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का स्थायी विच्छेदन विद्युत सप्लाय कोड में दिये गये प्रावधान अनुसार न होने के कारण अगस्त 2025 से स्थायी विच्छेदन नहीं माना जा सकता है। अतः उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन का पुनः संयोजन उपभोक्ता द्वारा आज तक की स्थिति में (मार्च 2026) संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने के पश्चात् किया जाये।



6. आदेश

अतः उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर फोरम द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :-

1. उपभोक्ता का अगस्त 2025 से स्थायी विच्छेदन अमान्य किया जाता है।
2. उपभोक्ता द्वारा अस्थायी विच्छेदन की तिथि से आज तक की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने के पश्चात् अनावेदकगण द्वारा विद्युत कनेक्शन तत्काल संयोजित करें।
3. उपभोक्ता को मार्च 2025 से पूर्व की स्थिति पर जमा सुरक्षा निधि के अनुसार ब्याज का निर्धारण सुरक्षा निधि पर किया जाये।
4. प्रकरण में किसी अन्य प्रकार की राहत प्रदान किया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया।
5. यह आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया गया।
6. प्रकरण का निराकरण किया जाता है।
7. उक्त प्रकरण में अनावेदकगण द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में आदेश की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर सी.जी.आर.एफ. कार्यालय दुर्ग को प्रस्तुत करें।
8. यदि आवेदक उपभोक्ता को यह आदेश असंतोषजनक प्रतीत हो, तो वह इस आदेश की प्राप्ति तिथि के 45 दिवसों के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(ममता कश्यप)
सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग



(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग